भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1209
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया गया)

आईईपीएफ का कार्य-निष्पादन

1209. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री भोला सिंहः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ॰ जयंत कुमार रायः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने योग्य जमाकर्ताओं जिन्हें कंपनियों द्वारा गलत कार्य के कारण नुकसान हुआ है, उनकी राशि को वितरित करने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज़) को आवंटित धन का ब्यौरा क्या है और आईईपीएफ का भौतिक प्रदर्शन कैसा रहा है;
(ग) एनजीओज़ द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक निवेशक हेल्पलाइन शुरू की है और यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों, निराकरण और लंबित शिकायतों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ धन वापस करने का आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में, किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित कार्रवाई के कारण हानि उठाने वाले पात्र और अभिज्ञेय आवेदकों के बीच गबन की गई राशि के वितरण के लिए किया जाता है। दिनांक 05.02.2020 तक किसी राशि के वितरण के लिए ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

जारी....2/-

(ख) और (ग): विगत तीन वर्षों के दौरान, आईईपीएफ से गैर-सरकारी संगठनों को कोई निधि आबंटित नहीं की गई है तथा इसीलिए, विगत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दुर्विनियोजन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आईईपीएफ अन्य बातों के साथ-साथ दावाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए दावों के निपटान और निवेशक शिक्षा संवर्धन जागरुकता और संवर्धन के लिए किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, आईईपीएफ का निष्पादन निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**विवरण**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	निपटाए गए दावों की संख्या	18	623	1,037
2.	दावाकर्ताओं को लौटाई गई राशि (लाख रुपये में)	47.4	72.9	177.7
3.	दावाकर्ताओं को लौटाए गए शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	5,00,771
4.	आयोजित किए गए निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) की संख्या	2,171	5,876	27,639

(घ): आईईपीएफ प्राधिकरण की दावाकर्ताओं की धनवापसी संबंधी आवेदनों की स्थिति बताने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन है। यह नंबर कंपनियों को आईईपीएफ से संबंधित उनके द्वारा फाइल किए गए विभिन्न प्ररूपों के संदर्भ में समाधान प्रदान करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था भी करता है। एक संवादमूलक वाज्य प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआरएस) भी आरंभ की गई जिसके माध्यम से दावाकर्ता द्वारा दायर किए गए दावे की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान की जाती है। सितंबर, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन के माध्यम से 16,736 कॉल के उत्तर दिए गए।

(ङ): आईईपीएफ प्राधिकरण निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन अपने अधिदेश के भाग के रूप में निवेशकों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे 35686 कार्यक्रमों को आयोजन किया गया है। इसके अलावा समय-समय पर जागरुकता पैदा करने वाले संदेशों का प्रचार-प्रसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाते हैं।

****